कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 10.07.2018 द्वारा मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रधानाचार्य राउमावि आमली, उनियारा, टोंक का स्थानान्तरण राउमावि–बडोरा, अटरू जिला बारां किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री अब्दुल्ला द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका सं 17657/2018 मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी मोहम्मद अब्दुल्ला के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2018 का क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री मोहम्मद अब्दुल्ला के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित रहेगा। उक्त आदेश के स्थगित किये जाने के परिणामस्वरूप श्री अब्दुल्ला माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक राउमावि आमली, उनियारा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सिविल/17657/2018 **दिनांक** 14.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी टोंक/बारां।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक शिक्षा) टोंक/बारां।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. संबंधित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.डीपीसी/2018–19/पदस्थापन/2018 28.05.2018 द्वारा श्रीमती अनिता वर्मा, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय तहताड़ा, बस्सी जिला जयपुर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गच्छीपुरा, मकराना जिला नागौर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती अनिता वर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2552/2018 अनिता वर्मा बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2552/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.8.2018 द्वारा अपीलार्थिया को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में मय प्रमाणों के विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना की गई कि उनके गृह जिले जयपुर में प्रधानाचार्य के कई पद रिक्त होते हुए भी उन्हें काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें उनके गृह जिले जयपुर में पदस्थापन नहीं मिल सका और उन्हें राबाउमावि गच्छीपुरा जिला नागौर हेतु अपनी सहमति देनी पड़ी। प्रार्थिया द्वारा उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिये जाने के उपरान्त विभागीय आदेश दिनांक 16.07.2018 द्वारा उनका पुनः राआउमावि गेढ़ाकलां, मकराना जिला नागौर स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थिया द्वारा स्वयं के एकल महिला होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले जयपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद राआउमावि लालगढ़, बस्सी, जयपुर, राउमावि नांगल जेसी बोरा, झोटवाड़ा, जयपुर, राआउमावि डाबीच, फागी जिला जयपुर अथवा जयपुर जिले में प्रधानाचार्य या समकक्ष स्तर के पद पर पदस्थापित किये जाने की परिवेदना की गई।

अपीलार्थिया के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थिया को काउन्सलिंग के समय वरीयता का लाभ नियमानुसार दिया जाकर उनसे वरिष्ठ कार्मिकों से पूर्व पदस्थापन स्थान के चयन की सुविधा प्रदान की गई थी। जहां तक अपीलार्थिया के गृह जिले में प्रधानाचार्य पद की रिक्तियों को काउन्सलिंग के समय प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है, तो काउन्सलिंग में रिक्तियों को विभागीय प्राथमिकता और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि अधिकांशतया शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में, जहां से सम्बन्धित पद हेतु पदोन्नत/चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत न्यून होने के कारण उन जिलों में शिक्षकों/संस्थाप्रधानों के पद काउन्सलिंग के उपरान्त रिक्त ही रह जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप उक्त सुदूरवर्ती/असुविधाजनक स्थानों पर स्थित विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों पर कुठाराघात होता है। उक्त सन्दर्भ में विभाग द्वारा ऐसे जिलों/स्थानों में पदों को भरे जाने हेतु अनवरत प्रयास के तहत काउन्सलिंग में उक्त जिलों की रिक्तियों को प्राथमिकता से प्रदर्शित किया जाता है। अपीलार्थिया राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद धारित है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाएं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थिया श्रीमती अनिता वर्मा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अभ्यावेदन खारिज किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती वर्मा राआउमावि गेढाकलां, मकराना जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अनिता वर्मा/अपील/2552/2018 दिनांक 14.11.2018

प्रतिलिपिः अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय–माध्यमिक) नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित संस्थाप्रधान।
9. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)